मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक- एफ 19-5/2015/1212/1 **भोपाल, दिनांक:-**

प्रति

कलेक्टर
समस्त जिले
(खनिज शाखा)
मध्यप्रदेश

विषय:- **माननीय सर्वोच्च् न्यायालय दवारा पारित आदेश दिनांक 13/12/2017 के पालन में डीएमएफ की राशि की वसूली के संबंध में ।**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय दवारा ट्रांसफर केस(सिविल) क्रमांक 43/2016 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 123/10/2017 का कृपया अवलोकन करें।

उक्त आदेश अनुसार कोयला एवं लिग्नाइट खनिज को छोड़कर शेष खनिज के खनिपटटाधारियों एवं पूर्वेक्षण सह खनि पटटाधारियों से डीएमएफ की राशि दिनांक 17/9/15 से वसूल की जाना है। कोयला, लिग्नाइट एवं सेण्ड फार स्टोईंग के खनि पटटाधारियों से डीएमएफ की राशि दिनांक 20/10/2015 से वसूल योग्य होगी।

न्यायालयीन आदेश अनुसार ऐसे पटटेदार जिनके दवारा डीएमएफ की देय संपूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया गया है उन्हें दिनांक 31/12/2017 तक संपूर्ण राशि जमा करने हेतु समय प्रदान किया गया है। निर्धारित तिथि तक राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। ऐसे पटटेदार जिन्होंने न्यायालयीन आदेश अनुसार नियत तिथि से पूर्व की अवधि की डीएमएफ राशि का भुगतान कर दिया है उन्हें जमा राशि वापसी योग्य नहीं होगी। अतिरिक्त जमा राशि भविष्य में देय डीएमएफ की राशि में से समयोजित की जा सकेगी । अतिरिक्त जमा राशि पर कोई ब्याज भी देय नहीं होगा।

अत: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करते हुये :-

(1) आपके जिले के पटटदारों दवारा देय एवं जमा डीएमएफ की राशि की गणना न्यायालयीन आदेश के अनुरूप कर ली जावे एवं समायोजन योग्य राशि यदि कोई हो तो उसका समायोजन न्यायायलीन आदेश के अनुरूप किया जाना सुनिश्चितकरें।

(2) निम्न प्रपत्र में जानकारी प्रेषित करें :-

कोल लिग्नाइट एवं स्टोईंग सेण्ड के मामलों में:-

क्रमांक	पटटेदार /लीज का विवरण	दिनांक 12/1/2015 से 20/10/2015 तक की अवधि के लिये	
		डी.एम.एफ. में ड्यू राशि	जमा की गई राशि

कोल लिग्नाइट एवं स्टोईंग सेण्ड को छोड़कर शेष खनिज के मामलों में:-

क्रमांक	पटटेदार /लीज का विवरण	दिनांक 12/01/2015 से दिनांक 17/ 09/2015 तक की अवधि के लिये	
		डी.एम.एफ. में ड्यू राशि	जमा की गई राशि

कृपया वांछित जानकारी दिनांक 23.12.2017 तक विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डॉ. फटिंग राहुल हरिदास)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग

पृष्ठ. क्रमांक- एफ 19-5/2015/1212/1 भोपाल, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. समस्त कमिश्नर मध्यप्रदेश।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह सदस्य सचिव, जिला खनिज प्रतिष्ठान ,जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
4. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म मध्यप्रदेश।
5. समस्त खनि अधिकारी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ ।

6. गार्ड फाईल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग